



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265017
CG-DL-E-28072025-265017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3370]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3447(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांकित 22.03.2013 के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 116बी को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे उक्त 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 116बी के नंदकुमार-दीघा खंड के किमी 0.000 से किमी 25.500 और किमी 41.000 से किमी 64.700 तक के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 48.117 किमी (तालिका-2) निवल सड़क खंड लंबाई और 5.6 किमी (0.56 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली [तालिका-3]) की समतुल्य कुल संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित) को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका 2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले में गोबर्धनपुर (चाँदीपुर) के निकट रासा-116बी के किमी/चै. 14.150 पर	48.117 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका 3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचना की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले में गोबर्धनपुर (चाँदीपुर) के निकट रासा-116बी के किमी/चै. 14.150 पर	0.560 [^]	5.60	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं के व्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	8.772	9.332	मोगराजपुर आरओबी	0.560

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका 4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अध्वधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 408.64 करोड़ रु. है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है। प्राधिकरण, वसूले गए प्रायोक्ता शुल्क के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखेगा।

[फा. सं. एनएच-12014/63/2023-आरओ-केओएल/ई-223778]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3447(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 816(E) dated the 22.03.2013 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway No. 116B situated within the State of West Bengal to the State Government of West Bengal.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 48.117 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 5.6 km [(having length of 0.56 km (Table-3))] on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of two lane with paved shoulders of Nandakumar to Digha Section from km 0.000 to km 25.500 & km 41.000 to km 64.700 of National Highway No. 116B (Nandakumar-Digha section) in the State of West Bengal, and authorises the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table -1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or More Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km./Ch. 14.150 of NH-116B near Gobardhanpur (Chandipur) in Purba Medinipur district, West Bengal.	48.117 kms	60% for two lanes with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3			
Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km./Ch. 14.150 of NH-116B near Gobardhanpur (Chandipur) in Purba Medinipur district, West Bengal	0.560 [^]	5.60	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above.

[^]Details of structure having length more than 60m is as under:-

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km.)
	From Km	To Km		
1.	8.772	9.332	Mograjpur ROB	0.560

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 350 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 408.64 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NH-12014/63/2023-RO-KOL/E-223778]

VINAY KUMAR, Addl. Secy